

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/90002

दिनांक 09.01.2018

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

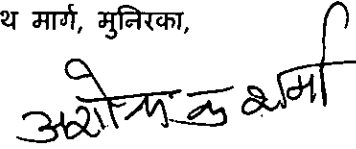
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 05.01.2018 का ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आपके आवेदन के बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग का अग्रसारित किया गया है, का अवलोकन करे । आपके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 3	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही दोषी अधिकारी को दंडित किया जाता है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कोई अन्य नियम उपलब्ध नहीं है । विशेष जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन कर सकते हैं ।
-------------	---

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल